

प्रेस नोट

थाना बड़ागाँव पुलिस व वाणिज्य कर विभाग की संयुक्त टीम द्वारा पटाखा गोदाम हिन्दुस्तान फायर वर्क्स रमईपट्टी में छापे मारकर लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन कर अनाधिकृत रूप से भण्डारण किये गये कुल) क्विंटल 104801 लाख किलोग्राम से अधिक ,अवैध पटाखा (जिसकी अनुमानित कीमत लगभग एक करोड़ पाँच लाख रूपये हैबरामदा ,

आगामी त्यौहार दीपावलीछठ के दृष्टिगत वरिष्ठ अधीक्षक वाराणसी व जिलाधिकारी वाराणसी द्वारा अवैध / संग्रह करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध चलाये जा /विस्फोटक सामाग्री व पटाखों को बिना लाइसेंस के चोरी छिपे विक्रय रहे अभियान के क्रम मेंदिनांक 07-11- को 2020उपआयुक्त- वाणिज्य कर विभाग मनोज कुमार सिंह की जाँच के आधार पर मानक के विपरीत पटाखा भंडारण करने की सूचना पर प्रशिक्षु आई0एस0पी0/थाना प्रभारी बड़ागाँव सागर जैन मय हमराह पुलिस बल व उपजिलाधिकारी पिण्डरा मय राजस्व टीम के द्वारा थाना बड़ागाँव क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सराय मुगल रमईपट्टी में पटाखा गोदाम हिन्दुस्तान फायर वर्क्स का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि हिन्दुस्तान फायर वर्क्स के नाम सेअदद लाइसेंसो 10 को पंजीकृत कराया गया है जिसमें ,प्रत्येक गोदाम के लिये कुल 100किलोग्राम से अधिक किन्तु 300किलोग्राम से अनधिक वर्ग-7 ,प्रभाग 2-व उपप्रभागकी विनिर्मित 2- आतिशबाजियोंतथा 500किलोग्राम से अधिक किन्तु 1200किलोग्राम से अनधिक चायनीज क्रेकर्स/पटाखों/स्पार्कलर्स के भण्डारण व विक्रय हेतु अधिकृत है।

परन्तु लाइसेंस धारक द्वारा मानक के विपरीत एक ही परिसर मेंगोदाम 10 ों के आलावा अन्य 05 स्थानों परअनाधिकृत रूप से पटाखों का भण्डारण किया गया था। छापे के दौरान उक्त गोदाम से लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन कर अवैध रूप से भण्डारण किये गये कुल-1048 क्विंटल)अनुमानित कीमत लगभग ₹0-1,05,00,000/- (गत्ता सहित अवैध पटाखों को बरामद कर समय23 . बजे 30पटाखा गोदाम को सील किया गया। वाणिज्य कर विभाग द्वारा लाइसेंस धारक पर ₹0-12,06,000/- सेलटैक्स व ₹0-12,06,000/- जुर्माना लगाया गया।

उक्त पटाखा गोदाम के मालिक शाबी अली पुत्र बादशाह अली निवासी सीके-66/5-A बेनियाबाग, थाना चौक, जनपद वाराणसी के विरुद्ध थाना बड़ागाँव पुलिस द्वारा मु516-0सं0अ0/बी विस्फोटक अधिनियम 9 धारा 20 पंजीकृतकिया गया। पटाखा गोदाम के मालिक शाबी अली उपरोक्त के विरुद्ध अलग से लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

- कुल 1048 क्विंटल गत्ता सहित अवैध पटाखा

पुलिस टीम का विवरण-

- सागर जैन (प्रशिक्षु आईपीएस) थाना प्रभारी थाना बड़ागांव, उ०नि० मुरलीधर, उ०नि० अजय कुमार यादव, उ०नि० स्वतंत्र कुमार यादव, का० हृदेश कुमार व का० जसवंत कुमार थाना बड़ागांव वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

थाना फूलपुर वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0 294/2020 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के गैंग लीडर सिज्जन यादव पुत्र स्व0 लालचन्द्र निवासी पिण्डरा थाना फूलपुर, जनपद वाराणसी द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित अवैध सम्पत्ति से अपनी पत्नी फूला देवी के नाम से क्रय की गयी जमीन आराजी नं0 566 रकबा 48 डिसमिल अर्थात 0.0194 हेक्टेयर स्थित मौजा पिण्डरा कोलअसला तहसील पिण्डरा जिला वाराणसी जिसकी कीमत इकत्तीस लाख चार हजार रूपये (31,04,000/-) है, को जिलाधिकारी वाराणसी के आदेशानुसार गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज दिनांक 08.11.2020 को क्षेत्राधिकारी पिण्डरा/बड़ागाँव के नेतृत्व में थाना सिन्धौरा व फूलपुर पुलिस द्वारा राजस्व टीम के साथ डुगडुगी बजवाकर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक रमेश यादव थाना-सिन्धौरा, वाराणसी
2. प्रभारी निरीक्षक सनवर अली थाना-फूलपुर, वाराणसी
3. उ0नि0 संजीत बहादुर सिंह
4. उ0नि0 सत्येन्द्र यादव
5. उ0नि0 अनन्त मिश्रा
6. उ0नि0 भगवान मिश्रा
7. का0 अरविन्द यादव
8. का0 राजू सोनकर
9. का0 सुनील यादव
10. म0का0 माया भारती
11. म0का0 सन्ध्या पाण्डेय

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

दिनांक 08-11-2020 को थाना कपसेठी पुलिस द्वारा थाना मिर्जामुराद में पंजीकृत मु0अ0सं0 123/ 2020 धारा 3(1) उ 0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 से संबंधित अभियुक्त धीरेन्द्र कुमार पुत्र नन्दलाल यादव निवासी कोषड़ा चक्रपानपुर थाना मिर्जामुराद वाराणसी द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित धनराशि से क्रय की गई एक अदद टाटा इन्डिगो मांजा कार संख्या: यू.पी.-.65 ए3 कीमत) 8264-.वी.,20,000/- रूपये(, को जिलाधिकारी वाराणसी के आदेशानुसार गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गवाहों के समक्ष डुगडुगी बजवाकर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 332/18 धारा 323/504/506/325 भादवि थाना मिर्जामुराद वाराणसी।
2. मु0अ0सं0 296/19 धारा 279/307 भादवि, 3/5 ए गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना मिर्जामुराद वाराणसी।
3. मु0अ0सं0 09/2020 धारा 279 भादवि, 3/5 ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना मिर्जामुराद वाराणसी।
4. मु0अ0सं0 123/2020 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना मिर्जामुराद वाराणसी।

पुलिस टीम का विवरण-

- प्रभारी निरीक्षक राजू दिवाकर, उ0नि0 मनीष कुमार मिश्रा, उ0नि0 राजदर्पण तिवारी, का0 जितेन्द्र यादव व का0 धनन्जय सिंह थाना कपसेठी वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



वाराणसी पुलिस आपकी अपनी पुलिस :

कार्यालय

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644 ,फैक्स-91-542-250145 ,0 ईमेल-

sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या :पीआरओ /552020

दिनांक: नवम्बर ,08/2020

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक बिना मास्क के घूम रहे व्यक्तियों, कालाबाजारी करने वालों दुकानदारों व यातायात नियमों का उल्लंघन करने व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 08-11-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए* कुल26 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा *05 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51 आपदा प्रबन्ध अधिनियम* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। बिना मास्क धारण किये *कुल 802 व्यक्तियों से रु0-26, -/200जुर्माना* जमा कराया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जनपदीय पुलिस व यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 1640 वाहनों का चालान, 15 वाहनों को सीज तथा 28 वाहनों से रु0-25,400/-समन शुल्क वसूल* किया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस आपकी अपनी पुलिस :

कार्यालय

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644 ,फैक्स-91-542-250145 ,0 ईमेल-

sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या :पीआरओ /562020

दिनांक: नवम्बर ,08/2020

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे *“मिशन शक्ति”* अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 08.11.2020 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूलकॉलेज व सार्वजनिक स्थलो/ों पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टरविडियो क्लिप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन /आडियो/पम्पलेट/बैनर/) नम्बरों112,1098,1090,181,1076,108,102 (की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरूकता अभियान चलाते हुए 156 बालिकाओं को जागरूक किया गया। मिशन शक्ति से /महिलाओं 3967 प्रसार कर कुल-स्थानों पर प्रचार सम्बन्धित1259 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 1स्थानों पर 13 चेक/भ्रमणिंग करते हुए कुल 430 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया तथा मनचलों के / ,पुलिस एक्ट की कार्यवाही 34 के विरुद्ध 02 विरुद्ध कार्यवाही करते हुए01 के विरुद्ध सीआरपीसी 151 ,की कार्यवाही56 मनचलों को हिदायत ,10 व्यक्तियों से पूछताछ एवं मनचलों सख्त चेतावनी दी 23 गयी ।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस आपकी अपनी पुलिस :

कार्यालय

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644 ,फैक्स-91-542-250145 ,0 [ईमेल-](mailto:sspvn-up@nic.in)

sspvn-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या :पीआरओ 57/2020

दिनांक: नवम्बर ,08/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 08.11. को थाना रोहनियाँ पुलिस द्वारा 2020मु0अ0सं0 388/2020 धारा 302/201/404/34 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त आशीष यादव पुत्र अच्छेवर यादव निवासी उज्जैनिया थाना बड़ागांव जनपद वाराणसी के हाजिर होने के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत धारा 82 सीआरपीसी की नोटिस डुगडुगी पिटवाकर गवाहों के समक्ष अभियुक्त आशीष यादव उपरोक्त के घर पर चस्पा करने की कार्यवाही की गई। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त आशीष यादव की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा रू 025,000-/- का इनाम घोषित किया गया है।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



कार्यालय वाराणसी
वाराणसी

वाराणसी पुलिस अधीक्षक
वरिष्ठ पुलिस

वाराणसी पुलिस अधीक्षक
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644 , फ़ैक्स-91-542-250145 ,0 ईमेल-
sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या :पीआरओ 58/2020 दिनांक: नवम्बर ,08/2020

प्रेस नोट

आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत आज दिनांक 08.11.को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक 2020 वाराणसीद्वारा जनपद में कानून शान्ति व्यवस्था बनाये रखने एवं/कोविड-19 के दृष्टिगत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन-हेतु रथयात्रा व मलदहिया क्षेत्र में पैदल भ्रमण किया गया एवं नियमानुसार समय से दुकानें बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गए।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



